संख्या-92/ XXII /16-27(10) 2013

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 **देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2016**

विषय-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 533/सू.एवं लो.स.वि.(प्रेस)124/2015, दिनांक 21.12.2015 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-69/ XXII/2006 दिनांक 18.03.2006 एवं शासनादेश संख्या-430/ XXII/2013-27(10)2013, दिनांक 12.05.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2013 के बिन्दु संख्या-02 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पूर्व में बिन्दु संख्या-02 के प्रावधान	संशोधित प्रावधान
राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त लगभग 75 पत्रकारों के लिए प्रदेश के अंदर एवं बाहर अधिकतम यात्रा प्रति पत्रकार 6000 कि.मी. प्रतिवर्ष तथा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त लगभग 300 पत्रकारों के लिये प्रदेश के अन्दर या बाहर अधिकतम सीमा 3000 कि.मी. (अर्थात् यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर भी) निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी।	राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर एवं बाहर अधिकतम यात्रा प्रति पत्रकार 6000 कि.मी. प्रतिवर्ष तथा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए प्रदेश के अन्दर एवं बाहर अधिकतम सीमा प्रति पत्रकार 3000 कि.मी. प्रतिवर्ष अनुमन्य होगी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2013 के बिन्दु संख्या-02 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या-92(1)/ XXII /16-27(10) 2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(विनोद शर्मा)
सचिव।